

प्रतिलिपि

अधीशापी अभियन्ता  
जल संसाधन, झण्ड बारां।

5/1  
24  
110  
नेडा  
मो.  
स  
4 3

विषय :- अहमदी लघु सिचाई परियोजना हेतु 228.76 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्र क्रमांक एफ 13 (वन संरक्षण)संमुवस/2014-15/13208 दिनांक 05.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में सहायक महानिरीक्षक (वन) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8/1/1991/एफ.सी./VOLI/दिनांक 14.10.2014 के अन्तिम स्वीकृति एवं शासन सचिव वन विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 1(52)वन/1990 दिनांक 17.11.2014 द्वारा अनुमोदन तथा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर के पत्र पृष्ठांकन संख्या एफ 14( ) 1990/एफ.सी.ए./प्रमुवस/8714-17 दिनांक 27.11.2014 तथा संदर्भित पत्र द्वारा शर्ताधीन वन भूमि के उपयोग की अनुमति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार आदेशों के अन्तर्गत शर्ताधीन वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आप भारत सरकार द्वारा जारी विधिगत स्वीकृति एवं शासन सचिव द्वारा अनुमोदित विन्दुवार सम्पूर्ण पालना कर पालना रिपोर्ट प्रतिमाह समय-समय पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करे ताकि रिपोर्ट उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।



Sd/-  
(सुनील चिद्री)  
उप वन संरक्षक  
बारां

क्रमांक एफ ( ) एफ.सी.ए./उवस/2014-15/13411-15

दिनांक :- 13/12/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. जिला कलक्टर, बारां।
4. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, संभाग कोटा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन, वृत्त बारां।

1458  
05/01/15

Sd/-  
(सुनील चिद्री)  
उप वन संरक्षक  
बारां

R.M.S.  
5353  
12/12/14

5353

क्रमांक एफ-78/पत्र 9/क.एस.टी/7986 दिनांक 15

आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sent to  
SE gmpj

for FCA/lettel Adimadi & Radi

Teach  
Copy to Am Bhojpur for M/9

Sd/-  
अधि.अभि.एवं प्राव. सहा.  
वास्ते अधीक्षण अभियन्ता  
जल संसाधन, बारां

13/12/15